संख्या- 33/2024/I/531228/2024/001-71-2099-25-2024

प्रेषक,

श्रीप्रकाश गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ के नियंत्रणाधीन सभी भवनों हेतु सामान्य कर/गृहकर के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट/ 2023-24/1106, दिनांक 22.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 59.42411 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ के नियंत्रणाधीन सभी भवनों हेतु सामान्य कर/गृहकर के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या-64/A071-20232024-71-2099-25-2024, दिनांक- 30 मार्च, 2024 (बी0एम0-9 प्रपत्र संलग्न) के अनुसार सेन्टर में विद्यमान देयता के भुगतान हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में सामान्य कर/गृहकर के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 59,42,000 (रूपये उन्सठ लाख बयालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. निदेशक, सेन्टर का दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे। उक्त् के अतिरिक्त किसी एक वित्तीय वर्ष के देयक अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।
4. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जाएगा।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023 -231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/ 2023, दिनांक 19.09.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
7. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग सेन्टर द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में नहीं की जाएगी।
8. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
9. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा।
10. धनराशि को कोषागार से सेन्टर के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 59,42,000 (रुपये उनसठ लाख बयालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050312 सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या- 33/2024/I/531228/2024/001-71-2099-25-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आंवटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
8. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3 ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20232024-71-2099-25-2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च लखनऊ हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050388 (पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना)	42 (अन्य व्यय)	33,80,00,000 रुपये तैंतीस करोड़ अस्सी लाख मात्र	10,01,14,000 रुपये दस करोड़ एक लाख चौदह हजार मात्र	59,42,411 रुपये उनसठ लाख बयालीस हजार चार सौ ग्यारह मात्र	59,42,000 रुपये उनसठ लाख बयालीस हजार मात्र	33,20,58,000 रुपये तैंतीस करोड़ बीस लाख अट्ठावन हजार मात्र	2023-2024
कुल					₹ 59,42,411	₹ 59,42,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050312 (सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	8,00,00,000 रुपये आठ करोड़ मात्र	59,42,411 रुपये उनसठ लाख बयालीस हजार चार सौ ग्यारह मात्र	59,42,000 रुपये उनसठ लाख बयालीस हजार मात्र	8,59,42,000 रुपये आठ करोड़ उनसठ लाख बयालीस हजार मात्र	2023-2024
कुल				₹ 59,42,411	₹ 59,42,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु मानक मद-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 500.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

निदेशक, सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेन्टर, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक-19.03.2024 द्वारा अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में संस्थान के नियंत्रणाधीन सभी भवनों की माप एवं गणना के आधार पर निर्धारित कुल गृहकर का भुगतान किये जोन हेतु रू0 59.43 लाख की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या : आर ई-बजट-1-884-ई-3-547-दस-2023-24, दिनांक 30 मार्च, 2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(ए0एण्ड, ई0),
उ0प्र0 प्रयागराज।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

Sarvesh 30/3/24

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या: 64 /A071-20232024-71-2099-25-2024, दिनांक- 30 मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल

आज्ञा से

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव